संख्या– 2178 /71–2–2010–519 /2005

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

2–निदेशक,
यूनानी सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ:दिनांक 18 जून, 2010

विषयः चिकित्साधिकारी (सामु0स्वा0) को वैयक्तिक/प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–656/13ए0जी0–87/2004, दिनांक 16.1.2006 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–7462/71–2–5/92, दिनांक 05 फरवरी, 1998 की अनुवृत्ति में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि चिकित्साधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से निरन्तर की गयी सेवा को वैयक्तिक/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति हेतु आगणित किया जायेगा। परन्तु पदधारक को वैयक्तिक वेतनमान (यथा 08/14 वर्ष) का लाभ उनके विनियमितीकरण के उपरान्त ही देय होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विनियमित होगें, तो इनके विनियमितीकरण के उपरान्त समस्त तदर्थ रूप से की गयी संतोषजनक सेवा को नियमित मानते हुए 08/14 वर्ष पर वैयक्तिक/प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य हो जायेगा।

2– कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।

संख्या– 2178 (1)/71–2–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0।
3– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेज, उ0प्र0।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव।